



नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा
लवकुश नगर, मूंदी रोड, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष- 0733-2245000, FAX-0733-2245001
Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र



प्रवेश विवरणिका एवं आवेदन पत्र शैक्षणिक सत्र 2023-2024

(डॉ. संजय कुमार दादु)

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
लवकुश नगर, मूंदी रोड, खण्डवा 450001 (म.प्र.)



नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा

लवकुश नगर, मूंदी रोड, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष- 0733-2245000, FAX-0733-2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र महत्वपूर्ण तिथि / सूचना

1	दिनांक 23 जनवरी 2025 से 06 फरवरी 2025 तक	संस्था कार्यालय में आवेदन जमा करने की तिथि (अवधि सुबह 09 से सायं 05 बजे तक)
2	दिनांक 08 फरवरी 2025	मेरिट सूची संस्था की वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड पर
3	दिनांक 10 फरवरी 2025	संस्था में अंतिम मेरिट सूची से संबंधित किसी भी प्रश्न या सुझाव को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का समय सायं 4.00 बजे तक

नोट:- उपरोक्त महत्वपूर्ण तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है, किसी भी अपडेट के लिए कृपया नियमित रूप से वेबसाइट www.gmckhandwa.org देखें।

आवेदन शुल्क:- डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन शुल्क:

अनारक्षित श्रेणी आवेदक : रु 800/- मात्र

आरक्षित श्रेणी आवेदक: रु 500/- मात्र

➤ आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से संस्था नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक खाता क्रमांक 37773559136 (IFSC Code- SBIN0012159) में जमा किया जा सकता है।

➤ आवेदन फार्म के साथ आवेदन शुल्क की रसीद संलग्न नहीं किये जाने पर आपका आवेदन स्वतः निरस्त हो जावेगा जिसके संबंध में किसी भी प्रकार का दावा/क्लेम मान्य नहीं होगा।

➤ आवेदन पत्र में सभी विवरण सावधानीपूर्वक और सुपाठ्य रूप से भरे जाने चाहिए और निर्धारित कवर में "पैरामेडिकल कोर्स के लिए आवेदन पत्र" अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा (म.प्र.) 450001 को व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जा सकते हैं, एवं निर्धारित अंतिम तिथि से पहले पहुंच जाना चाहिए।



नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा

लवकुश नगर, मूंदी रोड, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष- 0733-2245000, FAX-0733-2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

डॉ. संजय कुमार दादु
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
नंदकुमार सिंह चौहान शा.चि.म., खण्डवा

अध्यक्ष

डॉ. राकेश सिंह हजारी
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष पैथोलॉजी विभाग,
नंदकुमार सिंह चौहान शा.चि.म., खण्डवा

नोडल अधिकारी

डॉ. उदित अग्रवाल
सह-प्राध्यापक, बायोकेमिस्ट्री विभाग
नंदकुमार सिंह चौहान शा.चि.म., खण्डवा

नोडल अधिकारी
(प्रवेश प्रक्रिया)

पाठ्यक्रम प्रभारी अधिकारी एवं समन्वयक

क्र. स.	पाठ्यक्रम का नाम	विभाग	प्रभारी अधिकारी	पाठ्यक्रम समन्वयक
डिग्री पाठ्यक्रम				
1	बेचलर इन मेडिकल लेब टेक्निशियन	पैथोलॉजी	डॉ. राकेश सिंह हजारी	डॉ. सोनू रावत
डिप्लोमा पाठ्यक्रम				
2	डिप्लोमा इन आथेलमिक असिस्टेन्ट	नेत्र रोग	डॉ. चाँदनी करोले	डॉ. मनोज बालके
प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम				
3	सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑपरेशन थियेटर टेक्निशियन (ओटी)	जनरल सर्जरी	डॉ. अजय गंगजी	डॉ. रिकु यादव
4	सर्टिफिकेट कोर्स इन आर्थो. टेक्निशियन	अस्थि रोग	डॉ. विशाल आहके	डॉ. विशाल आहके

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम समग्र समिति

डॉ. राकेश सिंह हजारी, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, पैथोलाजी	-नोडल अधिकारी
डॉ. शेख एम. खालिक, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, बायोकेमेस्ट्री	-सदस्य
डॉ. अमित ए. रंगारी प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलाजी	-सदस्य
डॉ. अजय गंगजी, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, सर्जरी	-सदस्य
डॉ. विशाल आहके, सह-प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, अस्थि रोग	-सदस्य
डॉ. पराग शर्मा, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, फार्माकोलॉजी	-प्रभारी अधिकारी छात्रशाखा
श्रीजावेद अंसारी	-कम्प्यूटर आपरेटर
श्री हेमेन्द्र सिंह	-कम्प्यूटर आपरेटर

संबंधित चिकित्सालय एवं अधीक्षक

डॉ. अनिरुद्ध कौशल - संबंधित जिला चिकित्सालय खण्डवा

संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष

डॉ. विनित कुमार गोहिया	- एनाटॉमी विभाग
डॉ. नज़ीम इशरत सिद्दिकी	- फिजियोलॉजी विभाग
डॉ. शेख एम. खालिक	- बायोकेमिस्ट्री विभाग
डॉ. राकेश सिंह हजारी	- पैथोलाजी विभाग
डॉ. अमित ए. रंगारी	- माइक्रोबायोलाजी विभाग
डॉ. अजय गंगजी	- जनरल सर्जरी विभाग
डॉ. चांदनी करोले	- नेत्र रोग विभाग
डॉ. विशाल आहके	-अस्थि रोग विभाग

A. पाठ्यक्रम अवधि एवं उपलब्ध सीटों की संख्या :-

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	उपलब्ध सीट
डिग्री पाठ्यक्रम			
1	बेचलर इन मेडिकल लेब टेक्निशियन	3 वर्षीय	20
डिप्लोमा पाठ्यक्रम			
2	डिप्लोमा इन आथ्लेटिक असिस्टेन्ट	2 वर्षीय	10
प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम			
3	सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑपरेशन थियेटर टेक्निशियन (ओटी)	1 वर्षीय	07
4	सर्टिफिकेट कोर्स इन आर्थो. टेक्निशियन	1 वर्षीय	06

नोट:-विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा से संबद्ध चिकित्सालय में 03 माह का प्रायोगिक प्रशिक्षण (इंटरनशिप) पूर्ण करना अनिवार्य है।

B. प्रवेश प्रक्रिया:—

1. **विज्ञापन:—** नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट www.gmckhandwa.org पर उपलब्ध है
2. **शैक्षणिक अर्हता:—**मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विहित की गई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता भौतिकी, रसायन और जीवविज्ञान में हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
3. **आयु:—**किसी भी पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदक की आयु प्रवेश हेतु विज्ञापन की तिथिको 17 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
4. **प्रवीण्य सूची :—**प्राप्त आवेदनो सवीक्षा उपरांत न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा अर्थात भौतिकी, रसायन और जीवविज्ञान में यदि लागू हो हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा में अर्जित अंको के अनुसार एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी। संस्थान में प्रवेश इसी मेरिट सूची के आधार पर दिया जाएगा:

परन्तु किसी पाठ्यक्रम के लिए विहित न्यूनतम आर्हता के आधार पर तैयार मेरिट सूची में अंको की समानता की दशा में:—

(क) मध्यप्रदेश के मूल निवासी एवं क्रमशः स्थानीय जिले के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी;

(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासी से भिन्न उम्मीदवारों को हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा में अर्जित अंको के आधार पर तैयार मेरिट सूची के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा

5. **न्यूनतम अर्हकारी अंक:—**किसी पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु, अर्हकारी परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित वर्ग के लिए 33 प्रतिशत अंक निर्धारित है।

6. सीटों का आरक्षण :—

(क) प्रवेश हेतु सीटों के वर्गीकरण/आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों को पालन किया गया है।

परन्तु संस्थान द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियमानुसार आयोजित तृतीय काउंसलिंग के बाद भी आरक्षित सीटे रिक्त रहने की दशा में, संस्थान प्रवीण्यता के आधार पर प्रवेश प्रदान कर सकेगा।

7. **प्रवेश निरस्त किया जाना:—** प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से संस्थान के सज्ञान में आता है कि कोई छात्र/छात्रा की अनियमितता/आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई है तो परिषद उक्त छात्र/छात्रा का प्रवेश निरस्त कर सकेगी।
8. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु, मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु, सीट रिक्त होने की स्थिति में अन्य राज्य के आवेदक को मेरिट लिस्ट के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा।
9. आरक्षण का लाभ केवल मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी आवेदक को ही दिया जाएगा।
10. **मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र :—**प्रवेश के समय पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. **गैप सर्टिफिकेट :—**यदि आवश्यक है, तो नोटराइज्ड गैप सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
12. सभी दस्तावेजों में आवेदक का नाम समान होना चाहिए, यदि कोई परिवर्तन है तो उसके लिए आवश्यक वैध दस्तावेज जमा करना होगा।
13. **नियमित सेवारत शासकीय कर्मचारियों के पैरामेडिकल डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु नियम एवं दिशा निर्देश :—**
 - a) शासकीय कर्मचारियों को नियमित सेवा में होना अनिवार्य है तथा उसकी नियमित सेवा अवधि कम से कम 05 वर्ष तथा सेवानिवृत्ति में 05 वर्ष की समयावधि शेष होना अनिवार्य है, अर्थात् डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु 07 वर्ष या अधिक एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में 06 वर्ष से अधिक की सेवा शेष होना अनिवार्य है। विभागीय शासकीय कर्मचारी के लिए उच्चतम आयु सीमा का बंधन नहीं होगा। उक्त कर्मचारी केवल द्विवर्षीय डिप्लोमा एवं एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स हेतु ही पात्र होंगे।

- b) पाठ्यक्रम चयन हेतु कक्षा 12वीं में भौतिकी, रसायन और जीवविज्ञान में प्राप्तकुल अंको के अनुसार बनाई गई प्रावीण्यता सूची मुख्य आधार होगी। शासकीय विभागीय कर्मचारी को उनके कार्यानुभव के आधारे पर पांच वर्ष पश्चात प्रत्येक वर्ष के अनुभव पर 2 अंक प्रदान किये जावेंगे एवं अधिकतम 10 वर्ष का अनुभव ही सम्मिलित किया जावेगा। (अधिकतम 20 अंक)
- c) मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा निर्धारित नियमानुसार नियमित सेवारत शासकीय कर्मचारियों को पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत सीट आरक्षित है, उक्त सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक कार्यरत शासकीय कर्मचारी को प्रवेश हेतु सक्षम अधिकारी (अधिष्ठाता/संयुक्त संचालक/संचालक/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चिकित्सालय) से निर्धारित प्रपत्रमें अनुमति/स्वीकृति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी स्वीकृति जारी करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्तपाठ्यक्रम उस कार्यरत शासकीय कर्मचारी के लिए तथा शासकीय कार्यों में किस तरह उपयोगी है।
- d) संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश के पत्र पृ. क्रमांक 748-51 स्था/अराज/2007 दिनांक 05.11.2007 के अनुसार यदि पैरामेडिकल स्टाफ से हटकर अन्य संवर्ग के अपात्र शासकीय कर्मचारियों को उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है तो ऐसी स्थिति में अनुमति जारी करने वाले सक्षम अधिकारी जवाबदेह होंगे।
- e) बहु-उद्देशीय कार्यकर्ताओं (ANM)के पद पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को संस्था में संचालित उक्त पैरामेडिकल की विषय अनुसूची में सम्मिलित कोई भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।
- f) संबंधित कर्मचारी का उक्त पाठ्यक्रम के चयन होने पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के पूर्व उक्त कर्मचारी के पद की वैकल्पिक व्यवस्था सक्षम अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
- g) सक्षम अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु एक बार में अधिकतम 02 या 03 आवेदकों के आवेदन पर ही विचार किया जावे, एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर वरिष्ठ कर्मचारी के आवेदन पत्र भेजने में प्राथमिकता दी जावे।
- h) प्रशिक्षण उपरांत उक्त कर्मचारी शासन के प्रचलित विभागीय भर्ती, पदोन्नति नियमों के विरुद्ध पदोन्नति हेतु दावा नहीं कर सकेगा।
- i) अनापत्ति प्रमाणपत्र व अनुमति प्रमाण पत्र मे सक्षम अधिकारी आवेदन प्रोफार्मा प्रमाण पत्र (विभागीय कर्मचारी हेतु) में बिंदु क्रमांक 2 में यह दर्ज करें की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र यह जारीकर्ता द्वारा प्रवेश विवरणिका के दिशा निर्देशों का अवलोकन पश्चात सहमति प्रदान कर रहे हैं।
- j) सेवारत अभ्यर्थी आवेदकों को काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय अन्य आवेदक विद्यार्थियों की तरह समस्त शुल्क देय होंगे एवं उनको भी अन्य आवेदकों की तरह सीट लिविंग बॉन्ड निष्पादित करना होगा।
- k) विभागीय शासकीय कर्मचारियों विश्वविद्यालय/परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत इसी संस्था में अन्य छात्रों की तरह 03 माह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय/परिषद की सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के उपरांत अपने मूल विभाग में उपस्थित होंगे तथा परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण होने के पश्चात 3 माह के प्रायोगिक प्रशिक्षण/इंटरनशिप नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा से सम्बद्ध शासकीय चिकित्सालय खण्डवा में पूर्ण करनी होगी।
- l) प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवंटन प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत ही संबंधित को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु कार्यमुक्त किया जावे।
- m) यह पैरामेडिकल पाठ्यक्रम पूर्णकालिक पाठ्यक्रम हैं, उम्मीदवार पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के साथ किसी अन्य डिग्री/डिप्लोमा के लिए पंजीकरण नहीं करेगा) दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

C. चयन प्रक्रिया :-

1. पाठ्यक्रमों में प्रवेश मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रदान किया जाएगा, मेरिट लिस्ट 10+2 (12 वी कक्षा) की परीक्षा के भौतिकी, रसायन और जीवविज्ञान विषयों में प्राप्त कुल अंको के आधार पर तैयार की जावेगी।
2. परन्तु किसी पाठ्यक्रम के लिये विहित न्यूनतम आर्हता के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट में अंको की समानता की दशा में मध्य प्रदेश के मूल निवासी एवं कमशः स्थानीय जिले के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. मेरिट लिस्ट में स्थानीय जिले के आवेदकों के समान प्राप्तांक होने पर उम्र में वरिष्ठ आवेदको को पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।
4. मेरिट लिस्ट में प्राप्तांक एवं जन्मतिथि समान होने की दशा में वरीयता क्रम में जीवविज्ञान, रसायन एवं भौतिकी विषयों के क्रम में अधिक प्राप्तांक वाले आवेदको को प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
5. म.प्र. के मूल निवासी से भिन्न आवेदक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सीट रिक्त होने की स्थिति में अन्य राज्य के आवेदक को हायर सेकेंडरी 10+2 परीक्षा में अर्जित अंको के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा।

D. प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया :-

1. आवेदकों को नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा में निर्धारित तिथियों और समय पर उनकी मेरिट लिस्ट के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों पर काउंसलिंग प्रक्रिया द्वारा प्रवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
2. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउन्सलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु पृथक से कोई कॉल लेटर जारी नहीं किया जावेगा, अतः अपने मेरिट क्रमांक के अनुसार काउन्सलिंग में उपस्थित होना सुनिश्चित करे। विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक सूचनाओं हेतु संस्था की वेबसाइट www.gmckhandwa.org का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे।
3. आवेदकों को निर्धारित तिथि पर पाठ्यक्रम चयन/प्रवेश हेतु व्यक्तिगत रूप से संस्था नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा में काउन्सलिंग तिथि एवं समय पर प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा। पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों के अनुसार वे अपना पाठ्यक्रम चयन कर सकते हैं।
4. प्रवेश हेतु आमंत्रित किये जाने पर आवेदक को काउन्सलिंग प्रक्रिया शुल्क (नॉन रिफण्डेबल राशि) रुपये 600/- ऑनलाइन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा को काउंसलिंग के समय (परामर्श शुल्क) जमा करना होगा।
5. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्न मूल दस्तावेज एवं एक सेट अभिप्रमाणित छायाप्रति/सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी संस्था में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान जमा करवाना होगा :-

समस्त आवेदकों हेतु :-

- i. 10 वी कक्षा की बोर्ड द्वारा जारी अंकसूची
- ii. 10+2 (12 वी) कक्षा की बोर्ड द्वारा जारी अंकसूची
- iii. टी.सी. :स्थानांतरण प्रमाण पत्र (स्कूल/कॉलेज छोड़ने का प्रमाण पत्र)
- iv. बोर्ड/यूनिवर्सिटी द्वारा जारी माइग्रेशन सर्टिफिकेट
- v. आधार कार्ड
- vi. जन्म प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
- vii. मूल निवासी प्रमाण पत्र
- viii. मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट
- ix. गैप सर्टिफिकेट (यदि लागू हो तो)
- x. पासपोर्ट फोटो - 20

आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग) के आवेदकों हेतु:-

- i. जाति प्रमाण पत्र : सक्षम अधिकारी द्वारा जारी
- ii. आय प्रमाण पत्र : वर्तमान वित्तीय वर्ष का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी/आयकर विभाग में जमा रिटर्न की प्रति/पे स्लिप
- iii. अभिभावकों (माता/पिता/पालक) की वार्षिक आय का संयुक्त घोषणा पत्र
- iv. समग्र आई.डी. की प्रति

अन्य आवश्यक दस्तावेज (यदि लागू हो तो)

- i. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र (EWS प्रमाण पत्र/सर्टिफिकेट) : सक्षम अधिकारी द्वारा जारी
- ii. दिव्यांगता/विकलांगता (PHC) सर्टिफिकेट : सक्षम अधिकारी द्वारा जारी एवं पाठ्यक्रमों प्रवेश हेतु उपयुक्तता प्रमाण-पत्र अधीक्षक, व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टारुन, जबलपुर, श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी
- iii. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग का प्रमाण-पत्र : जिला कलेक्टर द्वारा जारी
- iv. मिलिट्री संवर्ग का प्रमाण पत्र : जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी
- v. सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारी आवेदकों हेतु : -
 - a) नियमित सेवा नियुक्ति आदेश
 - b) कार्यभार ग्रहण करने का पत्र
 - c) नियमितीकरण संबंधी आदेश
 - d) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विभागीय अनापत्ति/स्वीकृति/अनुमति प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार)
6. सभी दस्तावेजों में आवेदक का नाम समान होना चाहिए, यदि कोई परिवर्तन है तो उसके लिए आवश्यक वैध दस्तावेज जमा करना होगा।
7. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग (FF), मिलिट्री संवर्ग (MP), दिव्यांगता/विकलांगता (PHC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), इन-सर्विस (IS) श्रेणियों में योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं होने की दशा में रिक्त सीटों को उक्तसंबंधित श्रेणी की अनारक्षित सीट में परिवर्तित कर संबंधित श्रेणी के उपर्युक्त आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जावेगा।
8. आरक्षित श्रेणियों (ST/SC/OBC) के आवेदक, जिनका नाम उनकी श्रेणी के मेरिट/प्रतीक्षा सूचि के साथ-साथ अनारक्षित सूचि में भी दर्शाया गया है, उनके पास काउंसलिंग के दौरान विकल्प होगा कि वह उनकी अपनी श्रेणी अथवा अनारक्षित श्रेणी में प्रवेश ले सकते हैं।
9. संस्था द्वारा आवेदक को काउन्सलिंग द्वारा प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
10. काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान यदि जारीकर्ता अधिकारी द्वारा किसी दस्तावेज की और जांच करने की आवश्यकता होती है, तो इस प्रक्रिया में हुए व्यय का उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा।

नोट:-प्रवेशित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों को संस्थान के छात्र शाखा में काउंसलिंग/प्रवेश के दौरान जमा किये जावेंगे एवं पाठ्यक्रम पूर्ण होने के उपरांत संस्था की विभिन्न संबंधित शाखाओं से अदेय प्रमाण पत्र (No Dues Certificate) प्रस्तुत करने के उपरांत वापिस लोटाये जावेंगे, यदि प्रवेश उपरांत पाठ्यक्रम पूर्ण किये बिना छात्र किन्ही कारणों से पाठ्यक्रम छोड़ता है तो छात्र/अभिभावक को सीट लीविंग बांड राशि का भुगतान संस्था को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवाके नाम से डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक द्वारा करना होगा।

E. फीस संरचना :-

शुल्क का विवरण सत्र 2023-24

मध्य प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ/5-14/18/1/55/ चि. शि. भोपाल, दिनांक 24 मई 2018 के की कंडिका 2 के परिपालन में रजिस्ट्रार म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद् भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-26/कालेज-2023-24/142/2025 भोपाल, दिनांक 16.01.2025 के अनुसार

डिग्रीपाठ्यक्रम हेतु शुल्क (प्रथम वर्ष)

क्रमांक	विवरण	शुल्क
1	शिक्षण शुल्क	80020 / -
2	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	1000 / -
3	प्रयोगशाला एवं सामग्री शुल्क	1000 / -
4	सुरक्षा निधी (वापसी योग्य)	5000 / -
कुल योग रूपये		87020 / -

द्वितीय/तृतीय/अंतिम वर्ष के लिये देय शुल्क रूपये 82020/-होगा। अनुत्तीर्ण होने पर नियमानुसार शुल्क देय होंगे।

द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुल्क (प्रथम वर्ष)

क्रमांक	विवरण	शुल्क
1	शिक्षण शुल्क	51460 / -
2	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	1000 / -
3	प्रयोगशाला एवं सामग्री शुल्क	1000 / -
4	सुरक्षा निधी (वापसी योग्य)	5000 / -
कुल योग रूपये		58460 / -

द्वितीय वर्ष के लिये देय शुल्क रूपये 53460/- होगा। अनुत्तीर्ण होने पर नियमानुसार शुल्क देय होंगे।

एकवर्षीय प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम शुल्क

क्रमांक	विवरण	शुल्क
1	शिक्षण शुल्क	37160 / -
2	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	1000 / -
3	प्रयोगशाला एवं सामग्री शुल्क	1000 / -
4	सुरक्षा निधी (वापसी योग्य)	5000 / -
कुल योग रूपये		44160 / -

एक वर्षीय प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण होने पर नियमानुसार शुल्क देय होंगे।

नोट-

1. सुरक्षा निधी सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात ही लौटायी जावेगी।
2. प्रवेश लेने वाले सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारियों को भी पूर्ण शुल्क जमा करना होगा।
3. उपरोक्त शुल्क में प्रतिवर्ष 7.4 प्रतिशत की स्वतः बढोतरी होगी।
4. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को म.प्र. शासन के नियमानुसार फीस में रियायत एवं छात्रवृत्ति देय होगी। इस हेतु उन्हें वर्तमान वर्ष का अपने माता/पिता पालक का संयुक्त आय प्रमाण पत्र एवं आरक्षित श्रेणी का प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।

शुल्क से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु :-

1. आवेदकों को डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित प्रथम वर्ष के देय शुल्क काउंसिलिंग के समय प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अनिवार्य रूप से जमा करवाने होंगे। पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित प्रथम वर्ष के देय शुल्क एक मुश्त ऑनलाइन माध्यम से पाठ्यक्रम चयन के समय (काउंसिलिंग के दौरान) संस्था शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा के **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खण्डवा बैंक खाता क्रमांक 37773559136 (IFSC Code-SBIN0012159)** में जमा करवाकर भुगतान की रसीद प्रस्तुत करनी होगी। आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क एवं आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने के उपरांत ही पाठ्यक्रम में प्रवेश सुनिश्चित होगा।
नोट:- नगद भुगतान किसी विशेष परिस्थिति में अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पश्चात स्वीकार किया जावेगा।
2. **सीट लीविंग बांड :-** डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा के नाम डिग्रीपाठ्यक्रम हेतु राशि रु. 1,50,000/- एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु राशि रु. 50,000/- का सीट लीविंग बांड रु. 500/- के स्टाम्प पेपर पर स्वयं के खर्च पर निष्पादित कर नोटरी करवाकर काउंसिलिंग के दौरान जमा करवाना होगा, जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि आवेदक यदि किसी भी कारणवश पाठ्यक्रम पूर्ण किये बिना पाठ्यक्रम छोड़ता है तो वह सीट लीविंग बांड राशि संस्था में जमा करवायेगा। उक्त सीट लीविंग बांड प्रवेश दिवस से प्रभावी माना जावेगा।
3. संस्था में समस्त पाठ्यक्रम स्व-वित्तीय आधार पर संचालित है, अतः समस्त श्रेणी के आवेदकों/इन-सर्विस कैंडिडेट्स को निर्धारित समस्त शिक्षण और अन्य शुल्कों का भुगतान प्रवेश के समय एवं तत्पश्चात निर्धारित तिथियों पर करना होगा, संस्था में जमा किये गए शुल्क वापिस नहीं किये जावेंगे।
4. **आरक्षित श्रेणी:-** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र छात्र, आदिवासी कल्याण विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मप्र राज्य सरकार को शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए निर्दिष्ट वेबसाइट पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। मप्र राज्य सरकार नियमानुसार छात्रवृत्ति एवं शिक्षण तथा अन्य शुल्क की प्रतिपूर्ति उम्मीदवार के बैंक खाते में जमा की जावेगी। उक्त उम्मीदवार का भारतीय स्टेट बैंक शाखा में बैंक खाता होना अनिवार्य है।
5. छात्रों को शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले जारी नोटिसों में उल्लेखित/निर्धारित तिथियों के अनुसार शिक्षण और अन्य शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि छात्र निर्धारित समय में शिक्षण एवं अन्य शुल्क जमा करने में विफल रहते हैं, तो विलम्ब शुल्क राशि रु. 100/-प्रति सप्ताह के हिसाब से देय होगा।
6. यदि विद्यार्थी को खराब आचरण, गैर-कानूनी/असामाजिक गतिविधियों, नियमों के उलंघन एवं अन्य किसी कारणवश संस्था से निष्काषित किया जाता है अथवा विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण किये बिना छोड़ता है, तो संस्था में जमा किये गए किसी भी प्रकार के शुल्क वापिस नहीं किये जावेंगे एवं निर्धारित सीट लीविंग बांड राशि का भुगतान करना होगा।
7. छात्रों को समय-समय पर कंप्यूटर, स्टेशनरी, गेम्स, मैगजीन फीस आदि आदि लागू शुल्क देय होंगे।
8. यदि छात्र किसी भी शैक्षणिक सत्र में अनुत्तीर्ण होने पर पूरक/सप्लीमेंटरी परीक्षा देनी होगी एवं विश्वविद्यालय को निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा। छात्र के अनुत्तीर्ण होने के कारण पाठ्यक्रम कि अवधि निर्धारित अवधि से अधिक हो जाने पर छात्र को परीक्षा शुल्क सहित विस्तारित अवधि के लिये निर्धारित शुल्कों का भुगतान करना होगा।

F. प्रवेश निरस्तीकरण नियम/प्रक्रिया: -

1. यदि यह पाया जाता है कि किसी भी आवेदक ने तथ्यों को छिपाकर/गलत दस्तावेज/अधूरी/गलत जानकारी के आधार पर संस्था में प्रवेश प्राप्त किया है अथवा त्रुटिवश आवेदक को प्रवेश दे दिया गया है, ऐसी स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अथवा अध्ययन अवधि के दौरान किसी भी समय बिना किसी भी पूर्व सूचना के प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। उक्तसंबंध में संस्था प्रमुख का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
 2. पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि से 15 दिवस की समयावधि में छात्र को संबंधित विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी के समक्ष अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा संस्था में प्रवेश स्वतः निरस्त किया जा सकेगा। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से पाठ्यक्रम में निर्धारित तिथि तक उपस्थित न होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी के माध्यम से उचित आवेदन प्रस्तुत करना होगा अन्यथा प्रवेश स्वतः निरस्त कर दिया जावेगा।
 3. बिना किसी सूचना के लगातार 07 दिवस तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थी का प्रवेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। अनुपस्थिति की उक्त अवधि को विद्यार्थी के किसी भी अवकाश से समायोजित नहीं किया जाएगा।
 4. कोई भी छात्र किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है/संस्थान परिसर के अंदर या बाहर किसी भी प्रकार के कदाचार में भाग लेता है/कक्षाओं में अनाधिकृत रूप से अनाचार करता है/गैर-शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेता है/संकाय सदस्य, साथी विद्यार्थी, मरीज एवं उनके परिजनों के साथ दुर्व्यवहार/रैगिंग आदि के लिए उत्तरदायी होता है, संस्था प्रमुख के पास अधिकार है की छात्र-छात्रा के अनुचित व्यवहार के कारण वह अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए संस्था से निष्कासन/प्रवेश निरस्त कर सकते हैं।
 5. मध्य प्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् के अनुसार प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से परिषद् के संज्ञान में आता है कि कोई छात्र/छात्रा कि अनियमितता/अपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पायी गयी है तो परिषद् उक्त छात्र/छात्रा का प्रवेश निरस्त कर सकेगी।
 6. **उम्मीदवार द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण :-** यदि आवेदक/विद्यार्थी काउन्सलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होकर निर्धारित शुल्क एवं मूल दस्तावेज जमा करवाने के उपरांत/पाठ्यक्रम में अध्ययन के दौरान अपना प्रवेश निरस्त करवाना चाहता है, तो उक्तसंबंध में निर्धारित सीट लीविंग बांड कि राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, जमा करवाए गए शुल्क कि रसीद कि मूल प्रति के साथ मय शपथ पत्र के प्रवेश निरस्तीकरण हेतु आवेदन अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा को प्रभारी अधिकारी छात्र शाखाके माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। अधिष्ठाता महोदय के अनुमोदन उपरांत ही संबंधित का प्रवेश निरस्त कर संस्था में प्रवेश के दौरान जमा किये गए मूल दस्तावेज संबंधित/अधिकृत व्यक्ति को लोटाये जावेंगे।
- G. दस्तावेजों का सत्यापन:-** प्रवेश के दौरान विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन कि यदि आवश्यकता होती है तो संबंधित जारीकर्ता विभाग/अधिकारी को प्रेषित कर दस्तावेजों का सत्यापन करवाया जावेगा, उक्त सत्यापन में व्यय होने वाली राशि विद्यार्थी द्वारा वहन कि जावेगी।
- H. छात्रावास सुविधा: -**संस्था द्वारा छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जावेगी, विद्यार्थी अपनी बोर्डिंग और ठहरने की व्यवस्था स्वयं करें।

I. विद्यार्थियों के लिये शैक्षणिक नियम एवं आचरण संहिता :-

1. संस्था की गरिमा बनाये रखने हेतु समस्त विद्यार्थियों से अनुशासन, उपयुक्त व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, अतः अनुशासित रहकर संस्था के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
2. विद्यार्थियों को मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर/मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद, भोपाल/नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा द्वारा जारी समस्त नियम-नियमाकुल, पत्र-परिपत्र एवं दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के दौरान समस्त सैद्धांतिक (थ्योरी), प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) एवं क्लीनिकल पोस्टिंग्स में निर्धारित उपस्थिति अनिवार्य है, सैद्धांतिक (थ्योरी) कक्षाओं में 75 प्रतिशत एवं प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) कक्षाओं में 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, इसमें सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं की उपस्थिति की गणना पृथक-पृथक की जावेगी। निर्धारित उपस्थिति के अभाव में विद्यार्थियों को आगामी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी, जिससे उसकी पाठ्यक्रम अवधि बढ़ जावेगी। आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों हेतु संबंधित विभागों द्वारा जारी निर्देशानुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क-प्रतिपूर्ति हेतु संबंधित विद्यार्थियों का आवेदन अग्रेषित नहीं किया जा सकेगा।
4. विद्यार्थियों द्वारा मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा जारी निर्धारित उपस्थिति के संबंध में "जीरो टॉलरेंस नीति" का पालन करना होगा, उक्तानुसार यदि विद्यार्थी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जावेगा। अनाधिकृत अनुपस्थिति की पुनरावृत्ति पर अभिभावकों को सूचित किया जावेगा, तदोपरान्त भी विद्यार्थी द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति की पुनरावृत्ति की जाती है तो संबंधित विद्यार्थी को संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जानेवाली परीक्षा से वंचित किया जा सकेगा एवं संबंधित का नामांकन रद्द करने हेतु विश्वविद्यालय को सूचित किया जावेगा।
5. अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी/नोडल अधिकारी द्वारा निर्धारित उपस्थिति से 5 प्रतिशत तक कम उपस्थिति होने की दशा में परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु उपयुक्त एवं संतोषजनक कारण होने पर ही परीक्षा में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा की जा सकेगी।
6. समय-समय पर विद्यार्थी एवं अभिभावक, विद्यार्थी की उपस्थिति एवं अध्ययन के संबंध में अवलोकन करते रहे।
7. कक्षा/लैब/विभाग एवं संस्था में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को नीला एप्रन (लैब कोट) पहनना अनिवार्य होगा।
8. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर/मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद, भोपाल में नामांकन हेतु स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) एवं माइग्रेशन (प्रवजन) प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करवानी होगी, उक्त दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करने के अभाव में विद्यार्थी का नामांकन नहीं हो सकेगा, जिसके लिये विद्यार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
9. डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमके विद्यार्थियों को पाठ्यक्रमपूर्ण करने के उपरांत नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा से सम्बद्ध चिकित्सालय में 03 महीने की क्लीनिकल पोस्टिंग (क्लीनिकल कार्य) पूर्ण करना अनिवार्य है।
10. डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमके विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक निर्धारित पाठ्यक्रम एवं इंटरनशिप/क्लीनिकल पोस्टिंग पूर्ण करने के उपरांत ही संबंधित को मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किये जावेंगे। सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रम एवं क्लीनिकल पोस्टिंग पूर्ण करने पर मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद, भोपाल द्वारा संबंधित पाठ्यक्रम का सर्टिफिकेट जारी किया जावेगा।
11. पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत विद्यार्थी एवं सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारी को एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद, भोपाल में पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करवाना अनिवार्य है।

सूचना: - प्रवेश नियमों और प्रक्रिया में संशोधन के सभी अधिकार संस्था के पास सुरक्षित हैं, कोई भी किया गया परिवर्तन आवेदक के लिए लागू होगा। सभी प्रकार के न्यायिक मामलों में न्यायिक एवं परिवाद क्षेत्र खण्डवा होगा।



नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा

लवकुश नगर, मूंदी रोड, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष- 0733-2245000, FAX-0733-2245001

Email:deangmckhandwa@gmail.com, Website:www.gmckhandwa.org

// अनुशासनात्मक नियंत्रण //

चयन संस्थान के प्रमुख के अनुशासनात्मक नियंत्रण में होगा। यदि छात्र का आचरण संस्थान के नियमों और विनियमों के अनुसार नहीं है तो उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा और पाठ्यक्रम के दौरान किसी भी समय संस्थान से हटा दिया जाएगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से शुल्क का भुगतान करें अन्यथा प्रवेश रद्द किया जा सकता है। किसी भी कारण से प्रवेश रद्द होने की स्थिति में भुगतान किए गए शुल्क की वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

संस्थान के प्रमुख के पास किसी भी छात्र को किसी भी शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में अनुशासन या किसी गंभीर कदाचार के लिए विध्वंसक होने के कारण अपने विवेक से मना करने का अधिकार सुरक्षित है।

छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे केवल पैरामेडिकल छात्रों के लिए बने परिसर में रहें। उन्हें अस्पताल और कॉलेज परिसर में भटकना नहीं चाहिए और हमेशा नेम प्लेट के साथ नीले रंग के एप्रन में रहेंगे।

उपस्थिति – सैद्धांतिक (Theory) कक्षाओं में 75 प्रतिशत एवं प्रायोगिक (Practical) कक्षाओं में 80 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में शामिल होने के लिए आवश्यक है।

// अनुशासनात्मक समिति //

डॉ. राजीव जोशी

डॉ. संगीता चिंचोले

डॉ. अरुण मिश्रा

डॉ. सोनू रावत

डॉ. रिकु यादव

डॉ. मनोज बालके

डॉ. विशाल आहके



नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा

लवकुश नगर, मूंदी रोड, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष- 0733-2245000, FAX-0733-2245001

Email:deangmckhandwa@gmail.com, Website:www.gmckhandwa.org

// महत्वपूर्ण निर्देश //

1. अभ्यर्थी को किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/बोर्ड में किसी अन्य पाठ्यक्रम में एक साथ प्रवेश लेने की अनुमति नहीं है।
2. आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से/पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जा सकता है, आवेदन अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय मेडिकल कॉलेज खंडवा (म.प्र.) 450001 को संबोधित किया जाना चाहिए। उपरोक्त उल्लेखित सभी दस्तावेजों की सत्यापित फोटोकॉपी आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने चाहिए।
3. आवेदन डाक में देरी अथवा अन्य कारण से संस्था में नियत तिथि में प्राप्त नहीं होता है तो संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जाएगा और इसे रद्द माना जाएगा।
4. हालांकि पाठ्यक्रम नौकरी उन्मुख हैं, संस्थान नौकरी की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।
5. सीटों के वर्गीकरण/आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का पालन किया जाएगा। परंतु संस्थान द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियमानुसार आयोजित तृतीय काउंसलिंग के बाद भी आरक्षित सीटें रिक्त रहने की दशा में, संस्थान प्रवीण्यता के आधार पर प्रवेश प्रदान किया जावेगा।

नोट:—प्रवेश विवरणिका में मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद भोपाल द्वारा जारी मध्यप्रदेश राजपत्र, असाधारण भोपाल प्रकाशित दिनांक 08 अक्टूबर 2021 में उल्लेखित प्रवेश नियमों का पालन किया गया है।